



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.06.2024

विषय:- थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत घर में हुई चोरी की घटनाओं से संबंधित शातिर चोर शुभम सिंह थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण, 19500/- रुपये नगद, एक अदद लोहे का रिंच-पाना व एक अदद पिलास बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न मुकदमों से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी बासूचक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर को दिनांक 28.06.2024 को समय करीब 23.45 बजे हिरामनपुर मोड चौराहा से कुछ दूर लोहिया नगर फेस 02 की तरफ जाने वाले मार्ग पर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण, 19500/- रुपये नगद, एक अदद लोहे का रिंच-पाना व एक अदद पिलास बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पास कुछ चोरी के गहने व रुपये हैं जिसके कारण मैं आप लोगों को चकमा देकर भागना चाहा परन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। यह आभूषण व रुपये मैंने अपने साथी कंचन राम निवासी सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर दिनांक 25.03.2024 को तिलमापुर वैष्णो देवी मंदिर की दानपेटी से 46000/- रुपये चोरी किये थे और दिनांक 20.06.2024 को लेहूपुर सारनाथ में एक घर से 25000/- रुपये, एक चेन, एक हार तथा दिनांक 15.06.2024 को बरईपुर शक्ति पीठ कालोनी के एक घर से एक अंगूठी सोने की, एक चांदी की व एक पायल चोरी किये थे जिसको हम लोग आपस में बांट लिये थे जिसमें से मुझे मेरे हिस्से का 36000/- प्राप्त रूपयों में से कुछ खर्च हो गये और जो शेष बचे थे उसे आप लोगों ने बरामद कर लिया और एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी व 02 जोड़ी पायल बटवारे मे मुझे मिला था जो मेरे पास थे जिसे आप लोगों ने बरामद कर लिया। चोरी के शेष रुपये व हार मेरे साथी कंचन राम के पास है। पिलास व रिंच पाना के बारे में पूछने पर बताया कि इसी की मदद से हम लोग दरवाजे के ताले तोड़कर चोरी करते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। दिनांक 25.06.2024 को न्यु कालोनी हिरामनपुर में घर का दरवाजा व सीसीटीवी कैमरा तोड़कर चोरी की नीयत से घुसे थे किन्तु घरवालों के जग जाने के कारण हम लोग चोरी नहीं कर पाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी बासूचक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान- दिनांक 28.06.2024 को समय करीब 18.23.45 बजे स्थान- हिरामनपुर मोड चौराहा से कुछ दूर लोहिया नगर फेस 02 की तरफ जाने वाले मार्ग पर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

बरामदगी विवरण- चोरी के आभूषण, 19500/- रुपये नगद, एक अदद लोहे का रिंच-पाना व एक अदद पिलास

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 293/2024 धारा 427/457/380/511 भा.द.वि. व बढोत्तरी धारा 379/411/413 भा.द.वि. थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी
2. मु0अ0सं0 113/2024 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 272/2024 धारा457/380/411 भा.द.वि. थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 चन्द्रभान प्रसाद थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 महेश मिश्रा थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 आशुतोष त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी